न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 36/2015
अपीलांट

तारााराम पुत्र जीताराम जाति सीरवी उम्र 42 वर्ष, निवासी बेरा झालरा, पीपलाद तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. घीसाराम पुत्र चेलाराम
2. श्रीमति झमकु पुत्री चेलाराम पत्नी सदाराम जी जातिगण सीरवी निवासीगण पीपलाद तहसील सोजत जिला पाली।

उपस्थित :–

1. श्री बी.आर.चौधरी, अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02
2. श्री भवानीसिंह जैतावत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद सख्या 115/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपलाद के खसरा नंबर 426, 428, 429, 293, 294, 421, 748, 748/796, 642, 643, 644, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,128, 129, 130, 132, 146, 147, 148, 149, 166 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का आधार यह था कि अपीलांट स्वर्गीय जीताराम को एकमात्र पुत्र है। तथा पुत्र होने की हैसियत से वादग्रस्त आराजी में स्वर्गीय जीताराम की चल अचल संपति पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने स्कुल प्रमाण पत्र, टी.सी, परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये, साथ संवत 2030 से 2033 की जमाबंदी प्रस्तुत की जिसमे अपीलांट ताराराम पुत्र स्वर्गीय जीताराम दर्ज है। स्वर्गीय जीताराम अपीलांट का पिता है, उसके एक भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 01 घीसाराम तथा बहिने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 झमकुदेवी, हुकीदेवी, रूपीदेवी, हणकीदेवी अणचीदेवी है। जिससे यह साबिज है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 झमकुदेवी द्वारा किया गया हकतर्कनामा दिनांक 05.08.2012 अपीलांट के अधिकारो के विरूद्ध व शून्य है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सोजत सिटी ने रजिस्ट्रेशन संख्या 133/2014 में दिनांक 19.12.2017 को वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट को स्वर्गीय जीताराम का पुत्र प्रथम दृष्टया होना मानते हुए अप्रार्थीगण को रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजनीमे से अपीलांट कतई सहमत नहीं है। तथा राजीनामे में ताराराम के हस्ताक्षर छलकपट कर रेस्पोडेन्ट से मिलावट कर करवाये गये। अपीलांट स्वर्गीय जीताराम का एकमात्र पुत्र है। जिससे स्वर्गीय जीताराम की चल अचल सम्पति का अपीलांट एकमात्र मालिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) 2006 आर.आर.डी 397 (2) 2015 डी.एन.जे रेवेन्यू 287

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपलाद के खसरा नंबर 426, 428, 429, 293, 294, 421, 748, 748/796, 642, 643, 644, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,128, 129, 130, 132, 146, 147, 148, 149, 166 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत है। अपीलांट ताराराम का पुत्र न होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के जरिये हकतर्क कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। उक्त राजीनामे पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया' तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपलाद के खसरा नंबर 426, 428, 429, 293, 294, 421, 748, 748/796,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

642, 643, 644, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,128, 129, 130, 132, 146, 147, 148, 149, 166 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के जरिये हकतर्क कर दिया है। उक्त हकतर्कनामा को किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अब जहां तक वादग्रस्त आराजीयात में जीताराम के हिस्से का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वय ने कैम्प कोर्ट में केलवाद में लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजीनामे में यह स्पष्ट अंकन है कि " वादी ताराराम को जीताराम ने ही पाल पोषकर बडा किया तथा पढाया लिखाया आदि। ताराराम बतौर गोदीपुत्र जीताराम के साथ रहा है तथा प्रतिवादी घीसाराम जीताराम का भाई है। अत वादस्थ भूमि मौजा पिपलाद की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 193, 37, 172, 98 तथा 161 की भूमि में जीता पुत्र चेला के स्थान पर ताराराम पुत्र जीताराम 1/2 तथा घीसाराम पुत्र चेलाराम 1/2 दर्ज कराने तथा शेष प्रविष्टियां बदस्तूर रखे जाने पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई आपत्ति नहीं है।" उक्त तस्दीकशुदा राजीनामे पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तस्दीकशुदा राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है,। जिससे उक्त तस्दीक शुदा राजीनामे के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीकशुदा राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसे किसी प्रकार से विधि विरूद्ध ठहराना हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद सख्या 115/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली